न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 24/2024

उनवान

भंवर सिंह पुत्र कम्मा जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. प्रधान पुत्र मंगला जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद
2. उप पंजीयक श्रीनगर, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 अनुपस्थित
2 व 3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 13.5.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फारकिया में वादी की क्रयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
320	0.04	921	0.04
319	0.05	925	0.05
318	0.05	926	0.05

वर्किंग खसरा नम्बर 318, 319 व 320 के तत्कालीन खातेदार रूपी पत्नी मंगला व प्रधान पुत्र मंगला द्वारा वादी को दिनांक 15.04.2002 को उक्त आराजी का बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। रूपी पत्नी मंगला की मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 प्रधान पुत्र मंगला है। उक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता रूपी पत्नी मंगला व प्रधान पुत्र मंगला के नाम दर्ज कर दिया तथा हाल राजस्व अभिलेख में भी आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 921, 925 व 926 को वादी के नाम दर्ज नही किया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलादांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः हाल खसरा नम्बर का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें सथायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये। तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने भी साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 921/0.04, 925/0.05 व 926/0.05 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा रूपी पत्नी मंगला के नाम खातेदारी दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 318, 319 व 320 है। वंर्किग खसरा नम्बर 318 रकबा 0–7–0, 319 रकबा 0–6–0 व 320 रकबा 0–5–0 की आराजी वादी ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 15.04.2002 को क्रय की उक्त विक्रय पत्र में वादी ने रूपी पत्नी मंगला व प्रधान पुत्र मंगला का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया है। इसी वंर्किग खसरा नम्बरान की शेष आराजी वाद ने पूर्व में क्रय की थी जिसका अंकन राजस्व अभिलेख में वादी के नाम हो गया है। किन्तु रूपी पत्नी मंगला व प्रधान पुत्र मंगला से क्रय की गयी आराजी का नाम वादी के नाम विक्रय पत्र की पालना में नही किया गया तथा आराजी मुतनाजा पुनः विक्रेतागण के नाम दर्ज कर दी गयी। रूपी पत्नी मगला व प्रधान पुत्र मंगला द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है। विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रकरण में वाद के तथ्यों का कोई खण्डन नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी हाल खसरा नम्बर पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 921 रकबा 0.04, 925 रकबा 0.05 व 926 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवर सिंह बनाम प्रधान

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 24/2024
पेश करने की दिनांक — 15.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक, राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 921 रकबा 0.04, 925 रकबा 0.05 व 926 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद